कानूनी कर्तव्य :-

कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति के कारण नैतिक कर्तव्यों से अलग होते हैं। कानूनी कर्तव्यों से तात्पर्य व्यक्ति के एसे अनिवार्य दायित्व जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, समूह के प्रति अथवा राज्य के प्रति है और जिनको पूरा न करने पर राज्य दण्ड शक्ति का प्रयोग करता है, से है। यह एक तरह से अनिवार्य रूप से पालनीय कार्य होते हैं, जिनकी अवहेलना करने पर व्यक्ति को दण्डित किया जाता हैं। इन कर्तव्यों के पीछे राज्य की विधि अथवा कानून की शक्ति होती है। प्रत्येक नागरिक को कानूनी कर्तव्यों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता हैं।

Scanned by CamScanner

कुछ कानूनी कर्तव्य निम्नलिखित है :-

(1) करों का भुगतान करना : राज्य द्वारा आरोपित कर उसकी आय का बड़ा स्रोत होते है। कराधेयन द्वारा प्राप्त आय का उपभोग राज्य विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु करता है, साथ ही विभिन्न अनिवार्य गतिविधियों तथा व्यवस्थाओं हेतु भी इस राशि का उपयोग होता है। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह समय पर, ईमानदारी के साथ करों का भुगतान करें।

(2) कानूनों का पालन करना : प्रत्येक नागरिक का यह प्राथमिक व कानूनी कर्तव्य है कि वह राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करें। किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्य के नागरिकों का राज्य की विधि का अनिवार्य रूप से, ईमानदारीपूर्वक पालन आवश्यक होता है। कानूनों के पालन के द्वारा ही राज्य में शांति एवम् सुरक्षा बनी रहती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के कानूनों का पालन करें। कानूनों का पालन करना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। कानूनों का अपालन राज्य का विरोध करना है, जो व्यक्ति एवम् राज्य दोनों के हित में नहीं है। लोकतंत्र में जनमत द्वारा सरकारें कानूनों में संशोधन हेतु विवश किया जा सकता है।

(3) देशभक्ति : यह किसी भी व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह जिस राज्य में निवास करता है उसके प्रति हमेशा निष्ठावान, ईमानदार रहें। नागरिक, जिस राज्य का निवासी है उसकी रक्षा, उसकी स्वाधीनता की रक्षा हेतु तत्पर रहना, शत्रु की मदद न करना, कानूनी कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रहित में अपना सर्वस्व बलिदान करने हेतु भी तैयार रहना चाहिए।

Scanned by CamScanner

(4) सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना : प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी स्वयं की सम्पत्ति की रक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक सम्पत्ति की भी रक्षा करें। इन सार्वजनिक संपदा पर देश के सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है।

(5) मतदान करना : प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है और मत का प्रयोग करना अधिकार के साथ ही अपेक्षाकृत कर्तव्य अधिक है। मतदान के माध्यम से ही हम अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार का चयन करते हैं अतः प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।

इनके अलावा माँगे जाने पर लोक प्राधिकारियों की सहायता करना, समाज में सम्भावित अपराधों एवम् अपराधियों की सूचना प्रशासन को देना, अपराधों की छानबीन में सहायता करना भी नागरिकों का कानूनी कर्तव्य है। वर्तमान में सार्वजनिक जगहों पर थूकना, कचरा नहीं फेंकना, लॉकडाउन का पालन करना, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का माँगे जाने पर सहयोग करना प्रत्येक नागरिक कानूनी कर्तव्य है इनके उल्लंघन पर राज्य द्वारा शास्ति का प्रावधान किया गया है।

प्रसिद्ध विधिशास्त्री ऑस्टिन कर्तव्यों को 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं :-
(1) सापेक्ष कर्तव्य (2) निरपेक्ष कर्तव्य।
सापेक्ष कर्तव्यों से तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य रहता है।
निरपेक्ष कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जिनके साथ किसी प्रकार का सहवर्ती अधिकार नहीं होता है। निरपेक्ष कर्तव्य भंग को सामान्यतः अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके लिए कर्ता को दण्डित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

सापेक्ष कर्तव्य का भंग होना अपकार (wrong) के तहत माना जाता है। सापेक्ष कर्तव्य भंग होने पर पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है।

कानूनी कर्तव्यों को उपरोक्त के अलावा भी निम्न भागों में विभाजित किया जाता है –

(1) सकारात्मक तथा नकारात्मक कर्तव्य :–

सकारात्मक कर्तव्य व्यक्ति को कुछ कार्य करने हेतु अधिरोपित होते हैं जैसे- ऋणी व्यक्ति का ऋणदाता को ऋण की अदायगी का कर्तव्य सकारात्मक है। नकारात्मक कर्तव्य के अधीन व्यक्ति, जिस पर कर्तव्य अधिरोपित है किसी कार्य को करने से प्रविरत रहता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी है, तो अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के भूमि के उपयोग में हस्तक्षेप न करने के दायित्वाधीन है अतः यह एक नकारात्मक कर्तव्य है।

(2) प्राथमिक तथा द्वितीयक कर्तव्य :–

प्राथमिक कर्तव्य ऐसा कर्तव्य है जो बिना किसी अन्य कर्तव्य के स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है। उदाहरणार्थ किसी को चोट नहीं पहुँचाने का कर्तव्य प्राथमिक कर्तव्य है। द्वितीयक कर्तव्य वह कर्तव्य है जिसका प्रयोजन किसी अन्य कर्तव्य को प्रवर्तित करना है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाता है, तो प्रथम व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य द्वितीयक कर्तव्य है।

Scanned by CamScanner